क्या समान नागरिक कानून स्त्री-पुरुष को समान अधिकार दे पाएगा?

मणिमाला

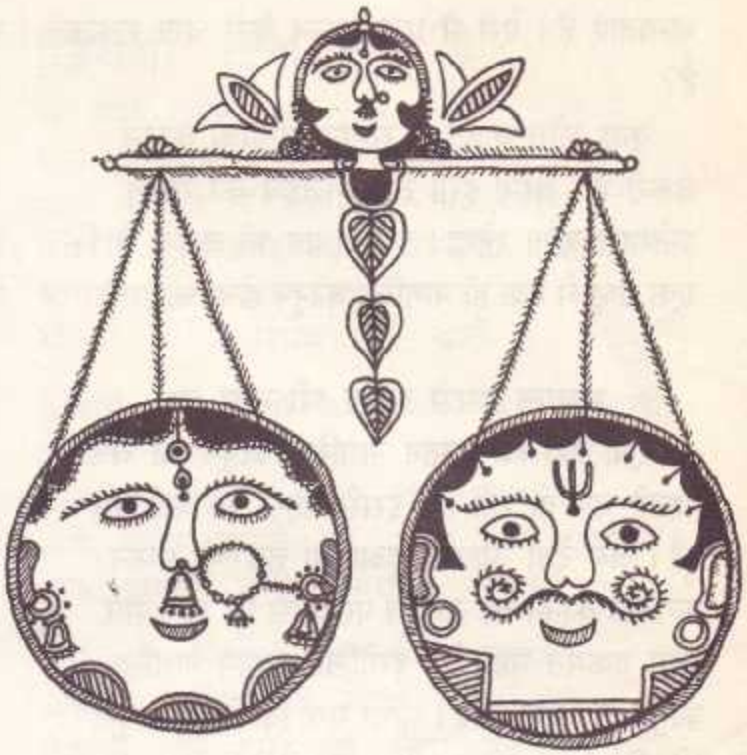

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकार को कहा कि वह समान नागरिक कानून बनाने की पहल करे। समान नागरिक कानून—मतलब हर मज़हब के लोगों पर एक ही कानून लागू हो। यह कानून सबको समान अधिकार देता हो। सबको इंसाफ देने की गारंटी करता हो। तब से समान नागरिक कानून की ज़रूरत पर बहस छिड़ी हुई है। क्यों न हम भी इस बहस में हिस्सा लें।

समान नागरिक कानून की बात कैसे आई?

सरला मुदगल का पति पहले हिंदू था। उसे दूसरी शादी का भूत सवार हुआ। पहले उसने चाहा कि सरला को समझा-बुझा कर दूसरी शादी के लिए राजी कर ले। सरला राजी नहीं हुई। पढ़ी-लिखी महिला थी। उसे कानून की जानकारी थी। खासकर अपने अधिकारों की जानकारी थी। उसे पता था कि हिंदू विवाह कानून एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं देता।

जब उसके पति ने डरा-धमका कर दूसरी औरत लाने के लिए उसे राजी करना चाहा तो उसने धमकी दी कि वह अदालत ले जाएगी। फिर भी उसके पति ने शादी की। ऐसे नहीं। पहले मज़हब बदला। हिंदू से मुसलमान हो गया। मुस्लिम निजी कानून मर्दों को चार शादियां करने की इजाजत देता है। इसी कानून की दुहाई देकर उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी औरत को घर ले आया।

सरला ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी शिकायत की। उसने पूछा कि यह कहां तक सही है? क्या किसी मर्द को दोबारा शादी के मकसद से मज़हब बदलने की इजाज़त मिलनी चाहिए? या कि मज़हब बदलने भर से उसे दूसरी बीबी लाने का हक़ है?

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इसी साल दस मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। दूसरी शादी को नाजायज ठहराया। अमान्य करार दिया। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को कहा कि समान नागरिक कानून बनाए। समान नागरिक कानून के पीछे मज़हब का गलत इस्तेमाल न हो, यही इरादा था।

इसी फैसले ने बहस के लिए माहौल बनाया। कोई कहता है इस देश में समान नागरिक कानून नहीं चल सकता। यहां कई भाषाएं हैं। कई सांस्कृतिक धाराएं हैं। कई रीति-रिवाज हैं। कई

मान्यताएं हैं। ऐसे में एक कानून कैसे चल सकता है?

कुछ लोग कहते हैं समान नागरिक कानून जरूरी है। वरना इसी तरह मज़हब का गलत इस्तेमाल होता रहेगा। इनका यह भी कहना है कि एक राष्ट्र में एक ही नागरिक कानून होना चाहिए।

सवाल इससे पहले भी उठा था

ऐसा नहीं कि समान नागरिक कानून की चर्चा पहली बार हो रही है। इससे पहले भी कई बार हुई। जब देश आजाद हुआ था तब भी समान नागरिक कानून की जरूरत पर बहस हुई थी। सारे लोग एकमत नहीं थे। इसीलिए समान नागरिक कानून नहीं बन सका। सोचा गया कि निजी कानूनों को ही उदार बनाया जाए। इस सिलसिले में हिंदू कोड बिल बनाया गया। यह 1956 में पास हुआ।

हिंदू कोड बिल बनाने में बहुत परेशानी हुई थी। दरअसल यह 1950 में ही बन कर तैयार था। फिर भी बहस के लिए संसद में नहीं लाया गया। सरकार को डर था कि इससे उसकी लोकप्रियता पर आंच आएगी। 1952 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस हार जाएगी। तब के कानून मंत्री बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत कोशिश की थी संसद में बहस करवाने की। पर नहीं हुई। अंत में उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

हालांकि कानून बनाने के पहले काफी चर्चा की गई थी। लोगों की राय जानने के लिए कई समितियां बनाई गई थीं। हिंदू धर्मगुरुओं से भी मशविरा किया गया था। फिर भी संसद में इसे पास करवाना मुश्किल हो रहा था। सबसे ज्यादा विरोध था औरतों को भी तलाक का अधिकार देने पर। दूसरा बड़ा विरोध था संपत्ति का हक़ देने के सवाल पर।

इसके बाद निजी कानून बदलने की दिशा में कोई खास कोशिश नहीं हुई। जैसा है वैसा ही चल रहा है। हां, समान नागरिक कानून बनाने की बात जरूर हो रही है।

सभी निजी कानून किसी न किसी रूप में औरत को कम और मर्द को ज्यादा हक़ देते हैं। आमतौर पर समान नागरिक कानून का अर्थ एक ऐसे कानून से लगाया जाता है जो सारे मज़हब के लोगों को समान हक़ दे। अगर औरत-मर्द को बराबर हक देने की बात है तो बहुत कुछ बदलना होगा। क्या इसके लिए हमारे नेता, राजनेता और समाज तैयार हो पाएंगे?

शाहबानो का मामला

1985 में भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक कानून की बात कही थी। तब शाहबानो ने इद्दत के बाद भरण-पोषण भत्ता (गुजारा भत्ता) की मांग की थी। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 का इस्तेमाल किया। उसे गुजारा भत्ता पाने का हक़ दिया। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया। वोट पाने के चक्कर में तब के प्रधान मंत्री राजीव गांधी झुक गए। मुस्लिम महिला संरक्षण कानून बनाया और औरतों (मुस्लिम) को दोयम दर्जे का नागरिक बना रहने दिया।

फिर 1994 में लखनऊ हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरिनाथ तिवारी ने कहा कि शरियत कानून असंवैधानिक है। क्योंकि यह औरत और मर्द के बीच भेद-भाव करता है। जबकि संविधान की नजर

में सब बराबर हैं। औरत और मर्द भी।

कानून ऐसा जो औरत-मर्द को बराबर हक़ दे

यहीं से यह बहस शुरू होती है कि कैसा कानून औरत और मर्द को बराबर हक़ दे सकता है? बराबर इंसाफ दे सकता है? बराबर आजादी दे सकता है?

इसी से जुड़े हुए कई और सवाल हैं। मसलनः क्या सिर्फ मुस्लिम निजी कानून औरतों के साथ ज़्यादती करता है? या सभी निजी कानून किसी न किसी रूप में औरत को कम और मर्द को ज्यादा हक़ देते हैं? अगर हां, तो वैसा कानून कौन बनाएगा जो औरत-मर्द, दोनों को बराबर हक़ दे। आमतौर पर समान नागरिक कानून का अर्थ एक वैसे कानून से लगाया जाता है जो सारे मज़हब के लोगों को समान हक़ दे।

अगर औरत-मर्द को बराबर हक़ देने की बात है तो बहुत कुछ बदलना होगा। क्या इसके लिए हमारे नेता, राजनेता और समाज तैयार हो पाएंगे?

एक पक्ष तो है ऐसा कानून बनाने का जो मर्दों और औरतों को समान हक़ दे। दूसरा पक्ष है उसे लागू करवाने का। औरतों पर ज़ुल्म रोकने के लिए कितने ही कानून बने। पर कारगर कितने हुए?

आप बहनों को क्या लगता है? औरतों को मर्दों के बराबर हक़ देने के लिए समान नागरिक कानून का होना जरूरी है या निजी कानूनों में बदलाव की ज़्यादा जरूरत है।

यह हमारी समस्या है। हमें भी सक्रिय होकर इस पर सोचना चाहिए। आप सोचिए और लिखिए। □